

I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e&2005 tuin vyhx<A

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) बी० के अनुसार जनपद अलीगढ़ के पुलिस विभाग के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रकारीत की जाती है।

1& i fyl cy ds | xBu dk; l rFkk dr]; k dk fooj .k

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार जिले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उस राज्य सरकार में निहित होगा जिसके अधीन उंसा जिला होगा औरइस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा प्रधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति अधिकारी या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिकमित या नियंत्रित करने के लिये स”क्त नहीं किया जायेगा।

पुलिस का मूल कर्तव्य व लोक व्यवस्था को स्थापित करना तथा अपराध नियन्त्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त विकायतों का निस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गों में सदभाव कायम रखने हेतु आव”यक प्रबन्ध करना महत्वपूर्ण व्यक्तियों व संस्थानों कर सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षाकरना है। लोक जमावों और जुलुसों को विनियमित करना तथा अनुमति देना व सार्वजनिक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखना है।

जनपद पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकके नियंत्रण एंव निर्देशन में कार्य करती है। जनपद में कुल 04 अपर पुलिस अधीक्षक 11 पुलिस उपाधीक्षक व 27 थाना प्रभारी के पद सृजित हैं।

1-1& tuin e i fyl dk | xBu&

जनपद में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार से है—

अपर पुलिस अधीक्षक	क्षेत्राधिकारी	थाना क्षेत्र
अपर पुलिस अधीक्षक, नगर	क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम	कोतवाली नगर
		सासनी गेट
		देहली गेट
	क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय	बन्नादेवी
		गॉधीपार्क
		महिला थाना
	क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय	सिविल लाइन
		क्वार्टी
		जवां
	क्षेत्राधिकारी गम्भाना	गम्भाना
		लेघा
		चण्डौस
अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण	क्षेत्राधिकारी खैर	खैर
		टप्पल
		पिसावा

	क्षेत्राधिकारी इगलास	इगलास गेंडा मडराक
	क्षेत्राधिकारी अतरौली	अतरौली हरदुआगंज पालीमुकीमपुर दादो
	क्षेत्राधिकारी बरला	बरला गंगीरी छर्रा अकराबाद विजयगढ़

1-2&Tkui n e\lfLFr fofhkuu bdkb}; k\ ds dk; k\ ds lk; b\k. k vf/kdkjh

क्र०स०	इकाई का नाम	पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकारी	पर्यवेक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
01	वायरलेस शाखा	रेडियो अधिकारी	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
02	स्थानीय अभिसूचना इकाई	निरीक्षक एल0आई0य०	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
03	फायर सर्विस	मुख्य अग्नि"मन अधिकारी	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
04	जिला नियंत्रण कक्ष	क्षेत्राधिकारी नगर	पुलिस अधीक्षक, यातायात
05	यातायात पुलिस	उ0नि0 यातायात	पुलिस अधीक्षक यातायात
06	वी0आई0पी0	क्षेत्राधिकारी नगर	पुलिस अधीक्षक, नगर
07	पुलिस लाइन्स	क्षेत्राधिकारी लाइन्स	पुलिस अधीक्षक, अपराध
08	भवन	क्षेत्राधिकारी लाइन्स	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
09	फायर सर्विस	क्षेत्राधिकारी नगर	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
10	पत्र व्यवहार शाखा	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
11	आंकिक शाखा	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
12	विषेष जॉच प्रकोष्ठ	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
13	महिला सहायता प्रकोष्ठ	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण
14	डी0सी0आर0वी0	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
15	न्यायालय प्रकरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
16	सम्मन सैल	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	पुलिस अधीक्षक, नगर
17	कम्यूटर सैल	क्षेत्राधिकारी कार्यालय	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

पुलिस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्य रुढ़ रहेगा और उसे जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियमों एवं कानूनों तथा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदें"ों एवं वारण्टों का पालन एवं निष्पादन करने एवं लोक शांति को प्रभावित करने वाले गुप्त

वार्ता का संग्रह करने एवं अपराधों व लोक व्यूरोन्स का निवारण करें अपराधियों का पता लगाये और न्यायालय के समक्ष लायें ।

2.अधिकारियों और कर्मचारियों की भावितयों एवं कर्तव्य

पुलिस अधिनियम पुलिस रेगुले”न द०प्र०सं० अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादे”गों के अन्तर्गत पुलिस के अधिकारियों / कर्मचारियों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य है :-

2-1&i fyl vf/kfu; e

/KKj k	अधिकारियों और कर्मचारियों की भावितयों एवं कर्तव्य
7	आन्तरिक अनु”ासन बनाये रखने हेतु राजपत्रित अधिकारियों को किसी समय अधीनस्थ पदों के ऐसे किसी अधिकारी को दण्डित करने की शक्ति होती है जो कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में फ़िरिल एवं उपेक्षावान पाये जायें
17	विंषु पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव वलबा या शान्ति भंग हुई हो या होने की गम्भीर संभावना हो विंषु पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति होती है। ☺
22	पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ माने जाते हैं तथा उन्हें जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है
23	प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदे”गों का पालन व निष्पादन करें लोक शान्ति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह करें अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करें अपराधियों का पता लगायें तथा उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार दिमान है। इसके लिए उसे विना वारण्ट किसी शराब की दूकान जुआ घर या भ्रष्ट या उदण्ड व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवे”। करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा
25	लावारिस सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में लें तथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें तथ नियमानुसार उस सम्पत्ति को निस्तारित करेंगे
30	लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुमति देने की शक्ति
30क	उपरोक्त अनुमति की शर्तों के उल्लंघन करने पर थाने के भार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जुलूस या किसी जमाव का रोकने या विखर जाने के आदे”। देने की शक्ति
31	सार्वजनिक सड़कों व मार्गों आम रास्तों घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य
34	किसी व्यक्ति द्वारा किसी ढोर का वध करने उसे निर्दयता से मारने या यातना देने ढोर गाड़ी से यात्रियों को वाधा पहुँचाने मार्ग पर गन्दगी व कूड़ा फेंकने मतवाले या उपद्रवी व्यक्तियों व शरीर का अँगूष्ठ प्रद”नि करने पर किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होना कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को विना वारण्ट के अभिरक्षा में ले लें
34क	उपरोक्त उपराध के शमन करने की शक्ति राजपत्रित पुलिस अधिकारियों में निहित है
47	ग्राम चौकीदारों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व

2-2&i fyl j kly's ku

प्रस्तर	कर्तव्य
12 से 16	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल के प्रधान होते हैं वे अधीनस्थ पुलिस बल

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	के दक्षता अनु”ासन एवं कर्तव्यों के पालन के लिए दायित्वाधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी संव्यवहार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही किये जाते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यदि मुख्यालय पर उपस्थित है तो जनता की समस्या सुनने के लिए कार्यालय में वैठेगे उन्हें स्वतंत्रतापूर्वक वैचारिक संसूचना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए सूचना के जितने साधन होंगे तदनुरूप उनकी दक्षता होगी। पुलिस पै”नर्स से उनका सम्पर्क होना चाहिए और उन्हें विनिर्दिष्ट रीति से जिले में थानों व पुलिस लाइन का निरीक्षण करना चाहिए आवकारी विषयों पर आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत मौजूदगी एवं पर्यवेक्षण आव”यक है। पड़ोसी जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से यथा सम्भव वर्ष में एक बार भेट आव”यक है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा शासकीय आदे”। की पुस्तिका में जिले का प्रभार सोंपें जाने वाले राजपत्रित अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार किये जाने संविधित अंतर्विष्ट अनुदे”गों का अनुसरण किया जाना चाहिए।
17 सहायक पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक	सहायक पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्दे”। पर किसी भी उस कार्य को किया जाता है जो व्यक्तिगत रूप से विधि व नियमों द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के लिए वाध्यकारी न हो।
18 से 23 प्रतिसार निरीक्षक	प्रतिसार निरीक्षक के रिजर्व पुलिस लाइन के भार साधक अधिकारी होते हैं जो कि जवानों की साज सज्जा अनु”ासन प्रौद्योगिक्षण के उत्तरदायी होंगे आयुध व वारूद की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं।
24 रिजर्व सबइन्सपेक्टर	रिजर्व सब इन्सपेक्टर प्रतिसार निरीक्षक की सहायता हेतु नियुक्त होते हैं जो गार्ड एवं स्कार्ट को निर्दे”त करने यातायात नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था के सम्बंध में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदे”त प्रत्येक आव”यक कार्य को करते हैं।
40 से 43 सर्किल इंस्पेक्टर	सर्किल इन्सपेक्टर के कर्तव्यों के सम्बंध में उल्लेख है जिसमें उसका प्रमुख कर्तव्य जॉच पड़ताल की देख-भाल और अपराध का निवारण करना पुलिस क्षेत्र में निवारक और अनुवेषण कार्यों में सामन्जस्य रखना थानों का निरीक्षण करना सभी महत्वपूर्ण विषयों घटना स्थलों का निरीक्षण व अन्वेषण में मार्गद”नि करना स्वयं अन्वेषण करना क्षेत्र की मासिक रिपोर्ट तैयार करना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक आव”यक घटना की सूचना देना लाइन्सेसी दुकानों का निरीक्षण करना अधिनस्थ पुलिस आचरण की निगरानी करना अपराधों का दमन और सामन्जस्य बनाये रखने के उत्तरदायित्व से निरन्तर आवद्ध रहना (वर्तमान में सर्किल इंस्पेक्टर का पद विभाग में नहीं है इन कार्यों का निर्वहन क्षेत्राधिकारी के द्वारा यथा निर्दे”त रूप में किया जाता है।)
43 से 50 थानाध्यक्ष	थानाध्यक्ष अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत पुलिस प्र”ासन का संचालन करता है तथा बल की सभी शाखाओं पर प्राधिकार रखता है। यह सभी रजिस्टरों अभिलेखों विवरणियों और रिपोर्टों की शुद्धता के लिए अधिनस्थों के प्रति दायित्वाधीन होगा उसे क्षेत्र के सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से सुपरिचित एवं उनके प्रति मैत्रीपूर्ण सहयोग सुनिचत करना चाहिए। उसे थाने की परिधि के अन्दर वुरे व्यक्तियों की निगरानी समुचित तरीके से करते रहना चाहिए। थाने पर किसी भी अधिकारी के न उपस्थित होने पर सीनियर कांस्टेबिल थाने का भार साधक अधिकारी होगा किन्तु वह तपती”।

	नहीं करेगा । थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर पुलिस फोर्स नं० 299 भरकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजेगे ।
51 द्वितीय अधिकारी	थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्रातः कालीन परेड कराना भार साधक अधिकारी द्वारा सोंपे गये समस्त निर्देशों को अधीनस्थों को बताना अन्वेषण करना होता है ।
55 हेड मोहर्रि	हेड मोहर्रि के कर्तव्य 1—रोजनामचा आम प्रपत्र सं० 217 और अपराधों की प्रथम सूचना लिखना । 2—हिन्दी रोकड वही (पुलिस फार्म नं० 224) 3—यदि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदेश दे तो धारा 174 द०प्र०सं० के अन्तर्गत पंचायतनामा लिखना ।
61 से 64 तक वीट आरक्षी	कान्स नागरिक पुलिस द्वारा जनता की समस्याओं पर नम्रता पूर्वक विचार करना चाहिए उनका मूल कर्तव्य अपराधों की रोकथाम करना है । थाने पर सन्तरी डियुटी के समय वह अभिरक्षाधीन कैदियों कोष तथा माल खाना एवं थाने की अन्य सम्पत्तियों की रक्षा करेगा । वीट कान्स के रूप में संदिग्ध अपराधियों फरार अपराधी तथा खानावदोष अपराधियों की सूचना थाना प्रभारी को देगा
85 से 69 स”स्त्र पुलिस	स”स्त्र पुलिस के रूप में खजानों हवालातों के संरक्षण कैदियों सरकारी सम्पत्ति की रास्ते में देखभाल आयुध भण्डार अपराध दमन तथा खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा करना मूल दायित्व है ।
79से 83 घुडसवार	घुडसवार पुलिस द्वारा उत्सवों या अन्य आयोजनों में भीड नियंत्रण का कार्य किया जाता है ।
89से 96 चौकीदार	ग्राम चौकीदारों द्वारा अपने प्रभाराधीन गाँवों की देखरेख करना अपराध एवं अपराधियों की सूचना देना व विधि के प्राधिकार के अधीन अपराधियों को गिरफ्तार कराने का दायित्व होता है ।

2-3 n. M i fdi; k | fgrik

द.प्र.सं.की धारा	अधिकारियों / कर्मचारियों के कर्तव्य
36	पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाने क्षेत्र में नियुक्त है उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा किया जाता है ।
41	विना वारण्ट की गिरफ्तारी निम्नलिखित द”गाओं में करने की शक्तियों:- 1—संज्ञेय अपराध की द”गा में । 2—कब्जे से गृह भेदन का उपकरण 3—उद्घोषित अपराधी 4—चुराई गई सम्पत्ति की सम्भावना 5—पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में वाधा 6—स”स्त्र बलों का भगोडा 7—भारत के बाहर भारत में दण्डनीय किया गया अपराध । 8—छोडे गये सिद्धदोष बन्दी द्वारा नियम उल्लंघन पर 9—वॉचित अपराधी

42	नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी
47	इस स्थान की तला”गी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तार करने की शक्ति
48	गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति
49	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उतने से अधिक अवरुद्ध नहीं किया जायेगा जितना कि उसके निकल भागने से रोकने के लिए आव”यक है।
50	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तार के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना।
51	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की तला”गी
52	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अकामक आयुधों को अधिग्रहण करने की शक्ति
53	पुलिस अधिकारी के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
54	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
56	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनाव”यक विलम्ब के बिना अधिकारिता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।
57	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे के अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध न रखना।
58	बिना वारंट गिरफ्तारियों की सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देना
60	अभिरक्षा से भागे अभियुक्तों को सम्पूर्ण भारत में कहीं भी गिरफ्तार की शक्ति
100	बन्द स्थान के भार साधक व्यक्ति उस अधिकारी को जो वारंट का निष्पादन कर रहा है तला”गी लेने देंगे।
102	ऐसी वस्तुओं को अभिग्रहीत करने की शक्ति जिनके सम्बन्ध में चोरी की हुई होने का सन्देह हो।
129	उ०नि० व उससे उच्च समस्त अधिकारियों को पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर वितर करने की शक्ति
130	ऐसे जमाव को तितर वितर करने के लिए स”स्त्र बल का प्रयोग
131	जमाव को तितर वितर करने की स”स्त्र बल के राजपत्रित अधिकारियों की शक्ति
132	द्वारा 129 130 131 के अधीन सदभावना पूर्वक किये गये कार्यों के सन्दर्भ में अभियोजन से संरक्षण
149	प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करेगा।
150	संज्ञेय अपराधों के किये जाने की परिकल्पना की सूचना।
151	उक्त के सन्दर्भ में बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार
152	लोक सम्पत्ति की की क्षति रोकने का अधिकार
153	खोटे वॉट मापों का निरीक्षण / अधिग्रहण
154	संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी इतिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निजुल्क दी जायेगी। भरसाधक अधिकारी द्वारा इतिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर

	किसी व्यक्ति द्वारा संम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।
155	असंज्ञेय मामलों में थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसी इत्तिला का सार संम्बन्धित पुस्तिका में प्रविष्टि करायेगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्दिष्ट करेगा।
156	संज्ञेय मामलों अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
100	अन्वेषण के अन्तर्गत साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति
161	पुलिस द्वारा साक्षियों का परीक्षण किये जाने की शक्ति
165	अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तला"मी ली जा सकती है जो अन्वेषण के प्रयोजन के लिए आव"यक हो तला"मी एवं जफती के कारणों को लेखवद्ध किया जायेगा।
166	अन्वेषणकर्ता अन्य पुलिस अधिकारी से भी तला"मी करवा सकता है।
167	जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेषण न पूरा किया जा सके तो अभियुक्त का रिमाण्ड लेने की शक्ति
169	साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़ा जाना
170	जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो मामलों को मजिस्ट्रेट के पास विचारण के लिए भेज दिया जाना
172	अन्वेषण में की गयी कार्यवाहियों को केस डायरी में लेखवद्ध किया जाना
173	अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा स"क्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजना
174	आत्म हत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्ष करना और रिपोर्ट देना
175	धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के प्रायोजन से व्यक्तियों को शमन करने की "व्यक्ति
176	पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्यु की समीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

2-4 | okPp U; k; ky; }kj k ekuo vf/kdkj | j {k. k | ECU/kh funf'k

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी0के0 बसु बनाम पर्चम बंगाल राज्य के वाद के निर्णय में गिरफ्तारी या निरुद्धीकरण के प्रकरणों में पुलिस जनों के निम्नलिखित दायित्व अवधारित किये गये हैं।

10.गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार कर्ता पुलिस अधिकारी को अपने पद सहित नाम पटिका धारण की जानी चाहिए। गिरफ्तारी का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाये।

11.गिरफ्तारी की फर्द गिरफ्तारी के मौके पर ही तैयार की जायेगी जो क्षेत्र के सम्बन्धित व्यक्ति अथवा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित होगी। गिरफ्तार व्यक्ति के प्रति पर हस्ताक्षर होंगे व एक प्रति उसे निःशुल्क दी जायेगी।

12.पुलिस अभिरक्षा में उसे अपने रि"तेदार या मित्र से मिलने दिया जायेगा तथा उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके निकट सम्बन्धी को दी जायेगी।

13.गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के रि"तेदार को निरुद्ध रखने के स्थान के बारे में बताया जायेगा।

14.गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अवगत कराया जायेगा कि उसे अपनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचित करने वह अधिकृत है।

15. गिरफ्तारी की सूचना को थाने के गिरफ्तारी रजिस्टर में ही अंकित किया जायेगा।
16. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के अनुरोध पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
17. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की प्रत्येक 48 घण्टे पर प्राक्षित डाक्टर से चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
18. गिरफ्तारी के सभी अभिलेखों की प्रतियोक्त्रीय दण्डाधिकारी के पास भेजी जायेगी।
19. जॉच काल में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।
20. गिरफ्तारी की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष में नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जायेगी।

2-5&vi j i fyl v/kh{kd ds dr}; , o1 nkf; Ro

पुलिस महानिदेशक उपरोक्त के परिपत्र संख्या 35/2005 दिनांक 9 जुलाई के द्वारा जनपद नियुक्ति के दौरान अपरोक्त पुलिस अधीक्षक की शक्तियों और दायित्वों का निर्धारण किया गया गया है।

2-5-1&dr};

2.5.1.1 संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही सम्बन्धी:-

2. संगठित अपराधियों तथा भाडे पर हत्या फिरौती हेतु अपहरण रोड होल्डअप वैक डकैती आटोलिफ्टर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले हवाला व्यापार करने वाले नक्सलवादी गैंग एवं राष्ट्र विरोधी तत्व माफिया आदि को चिन्हित कर उनकी गैंगवार सूची तैयार करना एवं तत्सम्बन्धी सभी सूचनायें एकत्र कर उन्हें पंजीकृत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना।
3. पंजीकृत अपराधियों का डोजियर तैयार करना।
4. संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्ययोजना तैयार करके जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
5. संगठित अपराधियों की गिरफ्तारी होने पर विस्तृत पूछ-तॉछ आख्या तैयार करना।

2-5-1-2&l fd}, , o1 okfN r vijk/kh | Eo/kh %&

1. सक्रिय एवं वॉचित अपराधियों की सूची तैयार करना हिस्टीट खुलवाना गिरफ्तारी हेतु कार्ययोजना बनाकर दवि दिलवाना
2. फाड अपराधियों के विरुद्ध पुरुष्कार घोषित करवाना

2-5-1-3vi j kf/kd v/fhkl puk dk , d=hdj . k%&

3. पेवर अपराधियों की अभिसूचना एकत्रीकरण हेतु स्रोत बनाना
4. जेल में बन्द पेवर अपराधियों की जानकारी करना
5. जेल से छुटने वाले पेवर अपराधियों की निगरानी
6. अन्य माध्यमों से अपराधिक अभिसूचना एकत्रीकरण

2-5-1-4fo' k'k vijk/kds | Eo/k e%&

1. समस्त विषय अपराधों के घटना स्थल का निरीक्षण
2. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचनाओं की पर्यवेक्षण आख्या
3. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना वाले एस आर केस राजनीतिक हत्या 2या दो से अधिक व्यक्तियों की हत्या वलात्कार के साथ हत्या ऐसी हत्या जो सामान्य कानून को प्रभावित करती हो डकैतीफिरौती अपहरण हत्या सहित लूट सनसनीखेज लूट पुलिस अभिरक्षा से पलायन पुलिस अभिरक्षा

में मृत्यु गैंगस्टर एकट के केसों को छोड़कर शेष समस्त ऐसआर केस की क्रमागत आख्या का अनुमोदन (प्रथतव अन्तिम को छोड़कर) अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।
 य-क्षेत्र के थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।
 र-फिक्स पिकेट ऐव गस्त की योजना बनाकर प्रभावी व्यवस्था करना।
 ल-क्षेत्र के समस्त थानों का दो माह में एक वार अर्दली रूम करना।

2-5-1-5 vfhk; kstu

न्यायालय में लम्बित वादों की प्रभावी पैरवी, पैरोकार/कोर्ट मोहर्रि की मासिक बैठक तथा सैसन द्वायल अभियोगों में विमुक्ति आख्या का विलेषण करना।

2-5-2 vi j i fyl v/kh{kdkl ds vf/kdkj

2-5-2-1 LFkkukarj .k | ECU/kh&

पुलिस महानिदें”क उ0प्र0 के अद्वैतासकीय पत्र सं0 एक-252-84 दिनांक 08.01.1985 के प्रस्तर 5 के बिन्दु सं0 4 में निहित निर्दें”गों के अनुरूप कार्यवाही स्थानान्तरण के सम्बन्ध में की जायेगी।

2-5-2-2 वार्षिक मन्तव्य:-

शासनादें”I सं0 1460 / छ:-पु-1-99-51 / 99 के अनुसार वार्षिक मन्तव्य का अंकन करना।

2-5-2-3 n.M | ECU/kh&

अपर पुलिस अधीखक द्वारा प्रचलित नियमावली के अनुरूप अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जाँच करायी जाती हैपरन्तु जाँच आख्याओं पर दण्ड पत्रावली खलवाने का अधिकारजनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का ही होगा।

2-6&I d n o fo | kue. My }kjk | e; | e; i j i kfjr vU; fofo/k vf/kfu; ekv ksj ' kkl ukns गों द्वाराप्रदत्त भावितयों तथा उनसे अपेक्षित कर्तव्य%&

संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य अधिनियमों व शासन व उच्चाधिकारी स्तर समय समय परनिर्गत आदें”गों व निर्दें”गों द्वारा भी पुलिस बल को दि”ग निर्दें”I प्राप्त होते रहते हैं। जिनके आधार पर पुलिस बल सेअपेक्षित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

3- fu.kl yus dh i fd; k dh dk; fof/k ds i ; bsk.k o mRrjknkf; Ro ds Lrj

3-1 vu@kkku@foopuk

d01 0	dk; bkg	dk; l Lrj	vof/k
1	प्र0सू0रि0 पंजीकरण का	154 द0प्र0सं0 के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधकअधिकारी के द्वारानिर्दें”ग निर्दें”ग लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निर्दुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने	अविलम्ब

		पर किसी व्यक्तिद्वारा सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।	
2	साक्षियों का परीक्षण	161 द0प्र0सं0 के अनुसार	यथा"ीघ्र
3	अन्वेषण द्वारा घटना स्थल की निरीक्षण	द0प्र0सं0 के अनुसार	यथा"ीघ्र
4	पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	विशेष अपराधों की स्थिति में सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी व अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है।	यथा"ीघ्र
5	सक्ष्य का संकलन	द0प्र0सं0 के अनुसार	कार्यवाही यथा"ीघ्र
6	नक्सा नजरी तैयार करना	द0प्र0सं0 के अनुसार	निरीक्षण के समय
7	अभियुक्तों की गिरफ्तारी	द0प्र0सं0 के अनुसार	—
8	संस्थीकृति का लिखा जाना	—	—
9	पुलिस / न्यायिक अभिरक्षा का रिमांड प्राप्त करना	—	—
10	तला"ी	—	—
11	निरूद्धि	—	—
12	अभियोग दैनिकी का तैयार किया जाना	—	—
13	आरोप पत्र दाखिल करना	—	—

3-2 fu; f. k d{ k

जनपद के नियंत्रण कक्ष कमांड और कन्ट्रोल संघटन के रूप में जनपद केतांत्रिका तंत्र की तरह कार्य करता है जो कानून व्यवस्था, अपराध, यातायात समस्या अन्य संगत समस्याओं की सूचना प्राप्त करता है तथा स्थानीय पुलिस को उस स्थिति से निपटने के लिये आवश्यक निर्देश देता है। बाढ़ व अन्य दैविय आपदाओं के सम्बन्ध में तत्परता से कार्य करता है।

Tkuin eorleku ei fuEufyf[kr fu; f. k d{ k Lfkfif r gA

क्र0सं0	नियंत्रण कक्ष	टेलीफोन नं0	कार्य
01	जिला नियंत्रण कक्ष		जनपद के सम्बन्ध में सूचनाओं को प्राप्त कर तदनुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को तत्काल अवगत कराया जाता है।
02	फायर नियंत्रण कक्ष		फायर नियंत्रण कक्ष में फायर सर्विस का गाड़िया उपलब्ध होती है। पूरी एक टीम प्रत्येक एक समय

			टर्न आउट की सिथति में रहती है जो किसी भी आग लगने की सूचना पर 05 मिनट के अन्दर पर अपने गन्तव्य पर रवाना होती है।
03	दुर्घटना नियंत्रण कक्ष	100	यातायात नियंत्रण कक्ष पर प्राप्त कोई भी सूचना पर सम्बन्धित थाने/चौकी चौकी की पुलिस को तत्काल मौके पर पहुँचने हेतु सूचित किया जाता है। जनपद को प्राप्त एक ऐम्बुलेंस जो कि जिला अस्पताल पर मौजूद रहती है को तत्काल राष्ट्रीय मौजूद रहती है को तत्काल राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुयी दुर्घटनाओं के मौके पर रवाना किया जाता है।

इन नियंत्रण कक्षों पर 24 घण्टे कन्ट्रोल रूम आपरेटर की नियुक्त रहती है। इन पर दी गयी सूचनाओं को तत्काल लागबुक में लॉक किया जाता है। तथा सम्बन्धित को कार्यवाहीहेतु सूचित किया जाता है।

3-3 f' kdk; rkः ds fuLrkj . k dh i fdः k

3-3-1 Fkkukः i j i klr i kfkluk i =kः ds fuLrkj . k dh i fdः k%&

क्र0सं0	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	थाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्राप्ति स्वीकार करना।	थानाध्यक्ष/दिवासाधिकारी/उपस्थित कार्यकर्ता द्वारा	तत्काल
2	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत वाले का नाम आगन्तुक रजिस्टर में अंकित करना	दिवसाधिकारी/उपस्थित कार्यकर्ता द्वारा	अविलम्ब
3	प्रार्थना पत्र को जनरिकायत रजिस्टर में अंकित करना	उपस्थित कार्यकर्ता द्वारा	अविलम्ब
4	जॉच अधिकारी नियुक्त करना व जॉच हेतु सौंपना	थाना प्रभारी द्वारा	01 दिवस
5	जॉच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जॉच करना व आव"यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जॉच अधिकारी द्वारा	05 दिवस
6	थानाध्यक्ष द्वारा जॉच की समीक्षा करना	थानाध्यक्ष द्वारा	01 दिवस
7	जॉच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही,यदि आव"यक हो, कराना।	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलम्ब
8	जॉच रिपोर्ट का रख रखाव	सम्बन्धित कार्यकर्ता द्वारा	01 वर्ष तक

3-3-2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

क्र0सं0	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय की प्रधान	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब

	लिपिक शाखा में उसकी प्राप्ति स्वीकार करना		
2	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकद्वारा स्वयं या इस कार्य हेतु निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिफाफे को खोला जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी (क्षेत्राधिकारी मुख्यालय) द्वारा	01 दिवस
3	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को जॉच एंव आव"यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	01 दिवस
4	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
5	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का परि"ग्राहन कर या तो स्वयं जॉच हेतु रखना या सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जॉच हेतु भेजना।	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	02 दिवस
6	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कार्यालय के कार्यालय के आडर बुक करना	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कार्यालय के आडर बुक	अविलम्ब
7	सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परि"ग्राहन कर या तो स्वयं जॉच करना या सम्बन्धित उनी/बीट आरक्षी को जॉच हेतु भेजना।	थानाध्यक्ष द्वारा	02 दिवस
8	जॉच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जॉच करना व आव"यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जॉच अधिकारी द्वारा	08 दिवस
9	थानाध्यक्ष द्वारा जॉच रिपोर्ट की समीक्षा करके सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को प्रेषित करना	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलम्ब
10	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा जॉच सही पाये जाने पर जॉच रिपोर्ट को दाखिल दफतर किया जाना।	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी द्वारा	अविलम्ब
11	जॉच रिपोर्ट का रख रखाव	क्षेत्राधिकारी कार्यालय के कार्यालय के आडर द्वारा व ग्रामीणता प्रकोष्ठ	02 वर्ष तक

3-3-3 ofj "B i fyl v/kh{kd dks 'kkI u]vk; kxks o vU; mPp vf/kdkjhX. kks ds Lrj I s i kkr i kFkuk i =kks ds fuLrkj .k dhl i fdr; k%&*

क्रमांक	कार्य	किसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
01	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का परि"ग्राहन करके सम्बन्धित अपर पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी या थानाध्यक्ष को जॉच हेतु आदेत करना	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा	01 दिवस

02	प्रार्थना पत्र को डाकवही रजिस्टर में अंकित करना व सम्बन्धित को जॉच हेतु प्रेषित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
04	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी /थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परि"गिलन कर स्वयं जॉच करके आव"यक कार्यवाही करना व रिपोर्ट देना	सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी /थानाध्यक्ष द्वारा	07 दिवस में
05	क्षेत्राधिकारी /थानाध्यक्ष कार्यालय के कान्सो वल्क द्वारा आर्डर बुक करना	क्षेत्राधिकारी /थानाध्यक्ष कार्यालय के कान्सो वल्क द्वारा	गिलम्ब
06	पुलिस अधीक्षक द्वारा जूच रिपोर्ट का परि"गिलन करके सही पाये जाने पर सम्बन्धित को रिपोर्ट द्वारा प्रेषित करना	पुलिस अधीक्षक द्वारा	02 दिवस में
10	जॉच रिपोर्ट का रख रखाव	पुलिस अधीक्षक के गोपनीय कार्यालय के कान्सो वल्क द्वारा	02 वर्ष तक

3.3.4 थाना पंचायत दिवस में थाना स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रक्रिया:-

(उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या :2021पी/छ:-पु-3/2005 दिनांक- 21.06.2005 गृज (पुलिस अनुभाग -3 के अनुसार थाना पंचायत दिवस में प्राप्त जनसंख्याओं के निस्तारण की प्रक्रिया)

जन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निस्तारण किया जाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासन द्वारा यह अनुभव किया जा रहा है कि अधिकारियों से मिलने के समय केवल पीडित पक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करता है परन्तु उसकी समस्या का समाधान तब तक सम्भव नहीं हो सकता है जब तक कि दोनों पक्षों को एक साथ बुलाकर उनका पक्ष जानकर साम दण्ड भेद की नीति के पंचायती तरीके से सुलझाने का प्रयास न किया जाय इसके लिए थाना सर्वाधिक उपयुक्त स्थल हो सकता है क्योंकि अधिकां"। समस्यायें भूमि विवाद सरकार व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न एवं हिंसा तथ जोर जबरदस्ती से सम्बन्धित होती है।

1. थाना स्तर पर उभय पक्ष तथ राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में पक्षकारों की एक साथ सुनवाई कर पंचायती तरीके से अधिकां"। समस्याओं का मौके पर ही त्वरित निदान सम्भव हो सकता है।
2. थाना स्तर पर जन सामान्य के प्रति संवेदन"गिलता का अभाव होने और लोगों के मन में थाना जाने के प्रति द्यभय कीभवना विद्यमान होने के कारण यह आव"यक है कि इस प्रकार की कार्यवाही के दिन प्रत्येक थने पर एक राजपत्रित अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर थानाध्यक्ष व पुलिस के विरुद्ध भी यदि कोई "प्रायत्र प्राप्त 'होती है तो उक्त अधिकारी उसका सज्जान लेकर पुलिस अधीक्षक /जिलाधिकारी को अपनीरिपोर्ट भेज सकते हैं इससे लोगों का थाने पर जाने में संकोच हटेगा तथा उनके थाना जाने के प्रति व्यय भय की भावना भी समाप्त होगी और थने में प्रभुत्व एवं अधिकारिता के माहौल में पंचायती ढंग से समस्याओं को निपटाने का प्रयास अपेक्षाकृत अधिक परिणामदायक हो सकता है।

(क) उन उददे"यों की पूर्ति हेतु थाना पंचायत दिवस का आयोजन कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। इस सम्बंध में निम्नवत् कार्यवाही सुनिँचत की जाय:-

(क)प्रत्येक शनिवार को थाना पंचायत दिवस का आयोजन प्रातः 10 बजे से किया जाय और उस दिन समस्त राजस्व एवं पुलिस कर्मी थाने पर उपस्थित रहेंगे।

(ख) थाना पंचायत दिवस के अवसर पर उपस्थित होकर नेतृत्व प्रदान करने हेतु राजस्व एवं पुलिस विभाग के समस्त राजपत्रित अधिकारियों का एक रोस्टर बनाया जाये। जो प्रत्येक त्रैमास बदला जाया करेगा ।

(ग) थाना पंचायत दिवस के अवसर पर प्राप्त “कायतों में उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चत कराकर राजस्व एवं पुलिस विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में उनका पक्ष जानकर आपसी सहमति से समस्या का निराकरण किया जायेगा ऐसे निस्तारित प्रत्येक मामले का इन्द्राज जी0डी0 में किया जायेगा, ताकि भविष्य में इसी सम्बंध में पुनः “कायत का अवसर उत्तपन्न होने पर उक्त इन्द्राज के आधार पर वैधानिक कार्यवाही करना सम्भव हो सके ।

(घ) जिन मामलों में मौका मायना की आवश्यकता हो उसमें 12.00बजे के बाद पुलिस व राजस्व कर्मियों की टीमें गठित कर मौके पर भेजी जायेगी । महत्वपूर्ण प्रकरणों में थानाध्यक्ष तहसीलदार उप जिला मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी की टीमें मौके पर जायेंगी और मौका निरीक्षण कर उभयपक्ष की आपसी सहमति से समस्या का निराकरण करेंगे ।

(ङ) थाना पंचायत दिवस में प्रधानों की भी उपस्थिति सुनिश्चत करायी जाये इससे समस्या ओं के निराकरण में सुविधा रहेगी ।

(घ) थाना पंचायत दिवस का पूरा लाभ जनसामान्यच को मिल सके इसके लिये सभी सम्भव उपायों द्वारा इसका व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाय ।

(छ) इस सम्बंध में प्रगति समीक्षा जिलाधिकारी एवं मंडलायुक्त के स्तर पर की जायेगी । उनके द्वारा शासन को भी प्रति माह अवगत कराया जायेगा ।

3.3.5

क्र0सं0	प्रतिष्ठान	पत्र/आदेश प्राप्ति का स्थान	निरीक्षण द्वारा	स्मयावधि
1.	पेटोल / डीजील पम्प	जिलाधिकारी कार्यालय से	अग्नि”मन अधिकारी	15 दिवस
2.	पैटोल / डीजल(फुटकरडीजल / पैटोल)	जिलाधिकारी जिलापूर्ति अधिकारी कार्यालय से	प्रभारी अग्नि”मन अधिकारी	उपरोक्त
3.	गैस एजेन्सी	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
4.	विस्फोटक पदार्थ	जिलाधिकारी कार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
5.	सनेमा हाल	जिलाधिकारी / मनोरंजन अधिकारी कार्यालय	उपरोक्त	उपरोक्त
6.	होटल / लाज / रेस्टोरेन्ट धर्म”ाला	जिलाधिकारी / पर्यटन अधिकारीकार्यालय से	उपरोक्त	उपरोक्त
7.	व्यवसायिक भवन	कार्यालय विकास प्राधिकरण / आवास विकाश निगम	उपरोक्त	उपरोक्त
8.	फैक्ट्री	कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र	उपरोक्त	उपरोक्त

3.3.6 जनपद अलीगढ़ में यातायात नियम

3.3.6.1 जनपद अलीगढ़ नगर क्षेत्र में वाहनों के प्रदेशी व संचालन के सम्बन्ध में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात का आदेश

(अ) भारी व्यवसायिक वाहन ओवरलोडिंग पर अंकुशी लगाने हेतु चैकिंग और ओवरलोडिंग होने पर वैधानिक कार्यवाही किये जाने के सम्बंधी आदेश दिये गये हैं।

(ब) यात्री वाहन यात्री वाहनों की सुरक्षा हेतु नगर क्षेत्र में आवश्यक स्थानों पर पुलिस कर्मचारियों की ड्युटी लगाई जाती है।

परिवहन निगम की बसों के सम्बन्ध में

परिवहन निगम की बसों द्वारा अनाधिकृत रूप से मार्ग पर सबारी उतारने व चढाने पर यातायात पुलिस को निर्देशित किया गया है ताकि मार्ग अवरुद्ध न होने पाये और यात्रियों को जोबकतरों से बचाने हेतु पुलिस कर्मचारियों को समय—समय पर कड़े निर्देश दिये गये हैं।
महानगरीय बसों के सम्बन्ध में

जनपद में सिटी बसों का संचालन नहीं है।

टैक्सी के सम्बन्ध में—

टैक्सियों को निर्धारित स्थान पर पार्क करने हेतु तथा निवाचत स्थान से आवागमन व संचालन हेतु निर्देश दिये हैं।

टैम्पो / टैक्सी स्टैण्ड के सम्बन्ध में—

टैम्पो टैक्सी ओवरलोडिंग पर अंकुशी हेतु यातायात पुलिस को कड़े निर्देश तथा नगर घने आवादी क्षेत्र में टैम्पो प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया गया।

(अ) अन्य एक मार्गः—

3.3.6.2 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध व जुर्माना :—

क्र0सं0	अपराध का विवरण	धारा	अधिकतम जुर्माना व सजा
1.	मोटर चालक द्वारा विना लाइसेंस गाड़ी चलाना	3 / 181	250—500
2.	थक्सी अवयस्क द्वारा मोटर गाड़ी चलाना	4 / 181	500व 3माह का कारावास व दौनों
3.	विना लाइसेन्स गाड़ी को चलाना	5 / 181	1000व 3माह का कारावास व दौनों
4.	विना पंजीकरण गाड़ी को चलाना	39 / 192	2000—3000 जुर्माना या 6 माह का कारावास या दोनों
5.	विना फिटनेस कराये गाड़ी चलाना	56 / 192	2000—3000 जुर्माना या 6 माह का कारावास या दोनों
6.	परमिट के नियमों का उल्लंघन करना या विना परमिट गाड़ी चलाना	66 / 192	2000—3000 जुर्माना या 6 माह का कारावास या दोनों
7.	गति सीमा से अधिक गाड़ी चलाना	112 / 183	400—1000
9.	एक दिन मार्गों के नियमों का उल्लंघन करना	115 / 1094	1000—2000

10	वैधानिक प्रतिबन्धों का उल्लंघन करना	115 / 194	1000—2000
11.	शांति क्षेत्र में अज्ञाओं का उल्लंघन करना (वर्जित क्षेत्र)	115 / 194	1000—2000
12.	प्रतिबन्धित क्षेत्र में गाड़ी खड़ी करना	115 / 194	1000—2000
13	थवना किसी संकेत के स्टेयरिंग का वायी तरफ होना	120 / 177	100—300
14	यातायात चिन्हों का पालन न करना	119 / 177	100—300
15.	थवना संकेत के गाड़ी चलाना	121 / 177	100—300
16.	खतरनाक द”गा में गाड़ी खड़ा करना जिससे यातायात वाधित हो	122 / 177	100—300
17.	गाड़ी कीछत वोनट पायदान पर वैठकर यात्रा करना या ले जाना	123 / 177	100—300
18	विना टिकिट यात्री वाहन में यात्रा करना	124 / 178	200—300
19.	थकसी दुपहिया वाहन पर दो सबारी से अधिक वैठाना	128 / 177	150—300
20	विना हेलमिट के दो पहिया वाहन चलाना	129 / 177	150—300
21	किसी मोटर चालक से लाइसेंस व गाड़ी के कागज मांगने पर पें”न करना	130 / 177	150—300
22.	किसी कण्डकटर के द्वारा उसका डाइविंग लाइसन्स मांगने पर पें”न कर पाना	130 / 177	150—300
23	किसी टैक्सी या तिपहिया टैम्पो द्वारा सबारी ले जाने से इन्कार करना	178(3)	50—200
24	पुलिस अधिकारी द्वारा गाड़ी रोकने पर	132 / 179	250—500
25.	स्टाप लाइन का उल्लंघन करना	17 / 177	100—300
26	दोषपूर्ण नम्बर प्लेट का वाहन में लगा होना	16 / 177	100—300
27	अधिक धुआ वाहन से निकलना	190(2)	1000—2000
28	विना इन्योरेन्स के वाहन चलाना	148 / 196	100व तीन माह का कारावास या दोनों
29	भार वाहन में प”ुओं को ले जाना	59 / 177	50—300
30	भार वाहन में अधिक यात्री वैठाकर चलाना	46 / 177	150—300
31	पुलिस द्वारा दिये गये संकेतों का उल्लंघन	119 / 177	300—500
32	वॉयें से गाड़ी को ओवरट्रेक करना	110 / 177	100—300
33.	वेतहा”गा खतरनाक तरीके से गाड़ी	184 / 202	1000’2000 दो वर्ष

	चलाना		का कारावास
34	शराव या अन्य किसी मादक पदार्थ का सेवन करके	185 / 202	1000'2000 दो वर्ष का कारावास
35	मालिक की विना अनुमति के गाड़ी ले जाना अथवा चलाना	197 / 202	1000'2000 दो वर्ष का कारावास
36	चालक का अपने दाहिने वैठाकर वाहन चलाना	126 / 177	100–300
37	गाड़ी के रनिंग वोर्ड में सवारी लादना, पायदान छत पर बौनट पर या गाड़ी के बाहर लटकाकर चलना	123 / 177	100–300

उपरोक्त धाराओं में किसी भी वाहन के अभिलेखों को चेक करने तथा संगत अपराध के अनुसार चालान करने की शक्ति जनपद के होकां(प्रोन्नत वेतनमान) एवं उसके ऊपर के समस्त अधिकारियों में निहित है। अधिनियम के अन्तर्गत उक्त धाराओं के उल्लंघन पर मौके पर ही सम्बंधित पुलिस अधिकारी द्वारा चालान किया जाता है। तीन प्रतियों में चालान की प्रविष्टियों की जाती है जो कि तीन विभिन्न रंगों की होती है। लाल रंग की प्रति को न्यायालय / क्षेत्राधिकारी कार्यालय भेजा जाता है पीले रंग की प्रति को वाहन चालक को दिया जाता है तथा सफेद प्रति को कार्यालय में रिकार्ड के रूप में रखा जाता है। जनपद में उक्त अधिनियमों में समायोजन सम्बंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा 15 दिवस तक किया जाता है। 15 दिवस के अन्दर यदि वाहन चालक समायोजन कराने हेतु उपस्थित नहीं होता है तो सम्बंधित प्रपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट के कार्यालय भेज दिये जाते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम कीधारा 207 के अन्तर्गत रजिस्टीकरण प्रमाण पत्र या परमिट आदि के विना उपयोग किये गये वाहनों को निरुद्ध किया जाता है जिनका समायोजन केवल सम्बंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही होता है।

3.3.7 स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया

3.3.7.1 एफ आर ओ (विदे"। पंजीकरण अधिकारी) के सम्बंध में

जनपद के प्रभारी पुलिस अधीक्षक एफआरओ 0 होते हैं जिनके पाक/वंगलादे"। व विदे"ी नागरिकों के सम्बंध में अलग—अलग कर्तव्य है।

(अ) विदे"ी शाखा / विदे"ी नागरिकों के सम्बंध में :-

पाकिस्तान व वंगलादे"। को छोड़कर अन्य दो"ों के नागरिक विदे"ी कहलाते हैं विदे"ी नागरिकों के मामले में पुलिस अधीक्षक विदे"ी पंजीकरण अधिकारी के हैसियत से कार्य करते हैं। जनपद में विदे"ी नागरिक 02 प्रकार के बीजा अवधि पर आते हैं। एक तो 180 दिन के कम के बीजा पर दूसरे 180 दिन के अवधि के अधिक के बीजा पर विदे"ी जो आते हैं उनका पंजीकरण निम्न प्रकार होता है।

(1) 180 दिन से कम का बीजा लेकर जनपद में आये विदे"यों का पंजीकरण नहीं होता है सूचना विदे"यों द्वारा या जिनके यहाँ ठहरे हैं के द्वारा दी जाती है।

(2) 180 दिन से अधिक के बीजा अवधि पर आये विदे"यों का 14 दिवस के अन्दर पंजीकरण होता है जिकी सूचना गृह मत्रालय नई दिल्ली व पुलिस अधीक्षक (एफ) विंशां अभिं विं उत्प्र० को प्रेषित की जाती है।

विदे"यों के निवास वृद्धि का अधिकार भी एफ.आर.ओ. में निहित होता है।

(ब) पाकिस्तान / वंगलादे"ी नागरिकों के सम्बंध में:-

पाक / बंगलादेशी नागरिकों के मामले में एफआरओ विविल अथोरिटी के हैसियत से कार्य करते हैं। जनपद में आये हुए पाक नागरिकों का पंजीकरण करके ठहरे हुए अवधि में उनके निगरानी कराते हुए समय से पाक रवाना करने की जिम्मेदारी भी सिविल अथोरिटी / पुलिस अधीक्षक की होती है।

पाक/बीडी नागरिकों की बीजा वृद्धि करने के सम्बंध में सभी अधिकार शासन को प्रदत्त है। सिविल अथोरिटी द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित करने पर एल0टीवी पर रह रहे पाक नागरिकों को एक्सटेन्सन शासन स्तर पर प्राप्त होता है वर्तमान में एसटीवी पर (180 दिन से कम) आये हुए पाक नागरिकों की बीजा वृद्धि पर शासन द्वारा रोक लगायी गयी है।

पाक / विदेशी मामलों से सम्बंधित कार्यवाही एल0आई0यू0 कार्यालय में स्थिति पाक/विदेशी शाखा से सम्पादित की जाती है जिसमें प्रभारी तौर पर एक उ0नि0 की नियुक्ति होती है।

3.3.7.2 पासपोर्ट

(अ) कार्यवाही का चरण:-

पासपोर्ट आवेदन करने वाले व्यक्ति अपना आवेदन पत्रों को निम्नस्थानों पर जमा कर सकते हैं।

7.क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय बरेली

जमा आवेदन आवेदन पत्रों को सम्बंधित जनपद के पुलिस प्रमुख को प्रेषित किया जाता है। आवेदन पत्र प्राप्ति के प्रति चात सम्बंधित जनपद के पुलिस अधिकारियों (उ0नि0 व है0कान्स0 प्रो0) क्षरा प्राप्त आवेदन पत्रों के एक प्रति जिसमें आवेदन करने वाले व्यक्ति के वैयक्तिक विवरण अंकित होते हैं की जाँच की जाती है तथा वैयक्तिक विवरण पत्र के दूसरे प्रति को आतंकवादी व अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के विषय में जानकारी करने हेतु अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ प्रेषित किया जाता है। अभिसूचना मुख्यालय से प्राप्त जाँच आख्या तथा जनपद के थानों व एलआईयू से प्राप्त जाँच आख्या के आधार पर एक अलग आख्या बनाकर नोडल अधिकारी (जी0ओ0) के हस्ताक्षर द्वारा क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बरेली को प्रेषित किया जाता है।

पासपोर्ट कार्यालय द्वारा प्राप्त जाँच आख्या के आधार पर वरीयतानुसार पासपोर्ट जारी किये जाते हैं जो डाक खाना के माध्यम से आवेदन को प्राप्त कराये जाते हैं।

(ब) कार्यवाही किसके द्वारा अपेक्षित :-

आवेदन जमा होने के प्रति चात निम्न स्तर पर कार्यवाही होती है।

(1) क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय द्वारा सम्बंधित जनपदों के पुलिस प्रभारियों को वैयक्तिक विवरण पत्र जाँच हेतु उपलब्ध कराये जाते हैं।

(2) जनपद पुलिस / एलआईयू / अभिसूचना मुख्यालय द्वारा जाँच की जाती है।

(3) जाँच आख्या नोडल अधिकारी (जीओ) के हस्ताक्षर से पासपोर्ट कार्यालय प्रेषित की जाती है।

(स) कार्यवाही की अवधि :-

जनपद में प्राप्त पासपोर्ट आवेदन पत्रों की पुलिस/अभिसूचना जाँच रिपोर्ट 20 दिन के अन्दर पासपोर्ट कार्यालय को प्रेषित किया जाने का निर्देश है। इसके प्रति चात पासपोर्ट कार्यालय द्वारा वरीयता के आधार पर पासपोर्ट जारी किये जाने का प्राविधान है।

3.3.8 सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने से सम्बंधित प्रक्रिया:-

शासनादे”। संख्या—1773/छ—पु—2—2001—700(1)/2001 दिनांक—25.04.2001 के अनुसार गनर /”डो की अनुमन्यता हेतु जीवन भय का सही आकलन करने के लिये जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित होती है जिसमें पुलिस अधीक्षक /निरीक्षक (अभिसूचना) इकाई सदस्य होते हैं।

जिन व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त आव”यक हो जनपदीय समिति द्वारा उनके जीवन भय का आकलन कर स्थानीय स्तर पर आव”यक सुरक्षा व्यवस्था निम्नलिखित मानकों के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है।

3.3.7.1 सुरक्षा व्यवस्था सम्बंधी मानकः—

श्रेणी	सुरक्षा का स्तर	व्ययभार का प्रति”त
सांसद / विधायक	(क)एक सुरक्षा कर्मी (ख)औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी सादे वस्त्रों में	(क)नि”जुल्क (ख)25 प्रति”त पर
निर्वाचित सांसद / विधायक	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रति”त
प्रदे”त स्तरीय शासकीय निगमों के अध्यक्ष / जिला पंचायत अध्यक्ष नगर प्रमुख कुलपति	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रति”त
प्रदेश स्तर पर पंजीकृत मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रति”त
अन्य किसी व्यक्ति को आव”यकतानुसार जनपदीय समिति की संस्तुति पर	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षा कर्मी	10 प्रति”त
जघन्य अपराध होने पर पैरवी करने वाला गवाह	औचित्य पाये जाने पर सुरक्षा कर्मी की सामान्य व्यवस्था	समिति के निर्णय के अनुसार

शासनादे”। संख्या—2301/6—पु—2—2004—700(1)—2001 दिनांक—18.06.2004 द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षों को पदेन एक गनर नि.”जुल्क देने का प्राविधान है।

किसी महानुभाव द्वारा सुरक्षा हेतु आवेदन पत्र देने पर जनपदीय द्वारा उनके जीवन भय का आकलन किया जायेगा जनपदीय समिति की संस्तुति पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक माह के लिये सुरक्षा कर्मी स्वीकृति पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा एक माह के लिये सुरक्षा कर्मी स्वीकृति किया जा सकता है जिसे आव”यकता पड़ने पर एक एक माह दो बार यानी कुल 3 माह तक बढ़ायी जा सकती है। इससे अधिक अवधि के लिये सुरक्षा की आव”यकता होने पर पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से जनपदीय समिति की संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी जिस पर विचारोपरान्त शासन द्वारा अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया जायेगा।

जनपद स्तर पर प्रदत्त सुरक्षा व्यवस्था (मान0 सांसद/विधायक/मा0 मत्री महानुभावों को अनुमन्य सुरक्षा व्यवस्था को छोड़कर) की समीक्षा जिलाधिकाहरी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक माह की जाती है।

भुगतान पर सुरक्षा कर्मी देने से पूर्व कम से कम एक माह का व्यय भार अग्रिम जमा कराया जायेगा यदि उक्त अवधिप समाप्त होने से पूर्व संरक्षित व्यक्ति द्वारा अग्रिम व्यय भार जमा नहीं कराया जाता है तो जमा करायी गयी धनराणी की अवधि समाप्त होते ही सुरक्षा कर्मी वापस ले लिया जाता है।

100प्रति"त निजी व्ययभार पर सुरक्षा कर्मी प्रदत्त करने पर ₹0 16130 / 1613 / प्रतिमाह धनराणी पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 इलाहाबाद के निर्देशनानुसार पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में जमा करायी जाती है।

3.3.9"स्त्र लाइसेन्स संस्तुति किये जाने की प्रक्रिया:-

क्र0सं0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	जिलाधिकारी कार्यालय से शस्त्र प्रार्थना पत्र प्राप्ति	अपर पुलिस अधीक्षक.....	कार्य दिवस / कार्यालय अवधि में किसी भी समय
2.	सम्बंधित थाने को अपराधिक इतिहास व आम"ोहरत तथा सत्यापन हेतु भेजा जाना	सम्बंधित प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष द्वारा	15 दिसस में
3.	डीसीआरवी द्वारा जनपद में किये गये अपराध के सम्बंध में जॉच किया जाना	प्रभारी डीसीआरवी	03 दिवस में
4.	सम्बंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा जॉच किया जाना	सम्बंधित क्षेत्राधिकारी	06 दिवस में
5.	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक.... द्वारा जॉच किया जाना	पुलिस अधीक्षक.....	06 दिवस में
6	जिलाधिकारी कार्यालय को लाइसेन्स प्रार्थना पत्र संस्तुति /असंस्तुति सहित भेजा जाना	सम्बंधित कां0 द्वारा	अविलम्ब

शस्त्र लाइसेन्स के नवीनीकरण के लिये आवेदन सम्बंधित थाने में प्रार्थना पत्र देता है थानाध्यक्ष की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा शस्त्र लाइसेन्स का नवीनीकरण किया जाता है। यह प्रत्येक 03 वर्ष की अवधि के प"चात अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

3.3.10विभिन्न प्रकार के चरित्र प्रमाण—पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया:-

3.3.10.1 प्राइवेट वैरीफिकेशन

क्र0सं0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना	प्रधान लिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में

2	चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20 रु0 शुल्क के रूप में लिया जाना	आंकिक कार्यालय के सम्बंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	चरित्र सत्यापन हेतु सम्बंधित थाने के जॉच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बंधित लिपिक द्वारा	01 दिवस
4	सम्बंधित थाने द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना	सम्बंधित थानाध्यक्ष /उ0नि0 द्वारा	06दिवस
5	एलआईयू द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना	निरीक्षक एलआईयू द्वारा	06दिवस में
6	चरित्र सत्यापन निर्गत किया जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	01दिवस में

3.3.10.2 पुलिस वैरीफिकेटन

क्र0सं0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	पुलिस विभाग में चयनित पुलिस कर्मियों के सत्यापन पुलिस कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधान लिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र सत्यापन हेतु सम्बंधित थाने को भेजना	कार्यालय के सम्बंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	सम्बंधित थाने द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना	सम्बंधित थानाध्यक्ष /उ0नि0 द्वारा	03 दिवस
4	एलआईयू द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना	निरीक्षक एलआईयू द्वारा	03दिवस
5	चरित्र सत्यापन सम्बंधित जनपद को भेजा जाना	निमित राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.10.3 सर्विस वैरीफिकेटन

क्र0सं0	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाही अपेक्षित	समय अवधि
1	सरकारी विभाग में चयनित सरकारी कर्मियों के सत्यापन सरकारी कर्मी के नियुक्ति स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधान लिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र सत्यापन हेतु सम्बंधित थाने को जॉच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	सम्बंधित थाने द्वारा जॉच व	सम्बंधित	03 दिवस

	सत्यापन किया जाना	थानाध्यक्ष / उ०नि० द्वारा	
4	एलआईयू द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना	निरीक्षक एलआईयू द्वारा	03 दिवस
5	चरित्र सत्यापन सम्बंधित जनपद को भेजना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.10.4 मिलेटी सर्विस वैरीफिकेशन

क्र०सं०	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाहीअपेक्षित	समय अवधि
1	मिलेटी विभाग में चयनित सैन्य कर्मियों के सत्यापन सैन्य कर्मी के नियुक्त स्थल से कर्मी के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधान लिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र सत्यापन हेतु सम्बंधित थाने को जॉच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बंधित लिपिक द्वारा	03 दिवस में
3	चरित्र सत्यापन हेतु सम्बंधित थाने द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना	सम्बंधित थानाध्यक्ष / उ०नि० द्वारा	03 दिवस में
4	एलआईयू द्वारा जॉच व सत्यापनर किया जाना	निरीक्षक एलआईयू द्वारा	03 दिवस में
5	चरित्र सत्यापन सम्बंधित जनपद को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3.3.10.5 ठेकेदारी वैरीफिकेशन

क्र०सं०	कार्य	किसके स्तर से कार्यवाहीअपेक्षित	समय अवधि
1	जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र मय शपथपत्र के पुलिस कार्यालय में प्राप्त	प्रधान लिपिक द्वारा	कार्यालय समय अवधि में
2	चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20 रु० शुल्क के रूप में लिया जाना	जिलाधिकारी कार्यालय के माध्यम से सीधे वैक में	अविलम्ब
3	चरित्र सत्यापन हेतु सम्बंधित थाने को जॉच हेतु भेजना	कार्यालय के सम्बंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
4	सम्बंधित थाने द्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना	सम्बंधित थानाध्यक्ष / उ०नि० द्वारा	07 दिवस में
5	सम्बंधित क्षेत्राधिकारी द्वारा	सम्बंधित क्षेत्राधिकारी	07 दिवस में

	सत्यापन को संस्तुति / असंस्तुति करना		
6	एलआईयूद्वारा जॉच व सत्यापन किया जाना	निरीक्षक एलआईयू द्वारा	07 दिवस में
7	चरित्र सत्यापन सम्बंधित जनपद को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

4.कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मानदण्ड

4.1जनपद स्तर पर विभिन्न प्रकार की जॉचों के लिए निर्धारित किये गये मापदण्ड

क्र0सं0	कार्य	कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड
1.	अनुसंधान/विवेचना	दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में
2	थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जॉच करके आव”यक कार्यवाही करना	07 दिवस में
3	पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जॉच करके आव”यक कार्यवाही करना	15 दिवस में
4	पुलिस अधीक्षक को विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जॉच करके आव”यक कार्यवाही करना	12 दिवस में
5	फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण	15 दिवस में
6	पासपोर्ट की जॉच	उ0प्र0”ासन के पत्र सं0 616भ/हिछःवीजा अनुभाग –4–2005–17/2/64/99दिनांक 21.10.2005 के अनुसार 20 दिवस में
7	शस्त्र लाइसेन्स की संस्तुति किया	30 दिवस में
8	प्राईवेट वैरीफिकेशन	14 दिवस में
9	पुलिस वैरीफिकेशन	06 दिवस में
10	सर्विस वैरीफिकेशन	06 दिवस में
11	मिलेट्री सर्विस वैरीफिकेशन	06 दिवस में
12	ठेकेदारी वैरीफिकेशन	21 दिवस में

4.2पुलिस आचरण के सिद्धान्त

16.भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिये गये पूर्ण सम्मान करना ।

17.विना किसी भय पक्षपात अथवा प्रति”गोध की भावना के समस्त कानूनों का नियंत्रण रखना ।

18.पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना ।

- 19.कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनायो रखने के काम में जहाँ तक सम्भव हो समझाने वुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना ।
- 20.पुलिस जन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना ।
- 21.पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान में समान नागरिकों से अपेक्षा की है।
- 22.प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
- 23.पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सद्भाव हृदय में रखना ।
- 24.प्रत्येक पुलिस जन विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना ।
- 25.हृदय से विश्वास्ता विवशनीयता निष्पक्षता आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विवास जीतना ।
- 26.पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रासादनिक जीवन में विचार वाणी व कर्म में सत्य"मीलता व ईमानदारी बनाये रखना ।
- 27.पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुप्रासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना ।
- 28.सर्वधर्म सम्भाव एवं लोक तात्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सोहार्द व भई चारे की भवना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्न"मील रहना ।

5.कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम निनियम निर्देश"।
निर्देश"का व अभिलेख

क्र0सं0 अधिनियम,नियम,रेग्यूले"न का नाम

1.पुलिस अधिनियम 1861

2.भारतीय दण्ड संहिता 1861

3.दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973

4.उ0प्र0पुलिस रेग्यूले"न 1861

5.उ0प्र0 पुलिस कार्यालय मैनुअल 1861

6.साक्ष्य अधिनियम 1872

7.आम्रस एककत 1959

8.सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955

9.अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989

10.केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949

11.आवयक बस्तु अधिनियम 1955(उ0प्र0 संगोष्ठी अधिकार 1978)

12.चोर बाजारी नियमों और आवयक बस्तु प्रदाय अधिकार 1980

13.खाद्य अपमिश्रण नियम 1954

14.उपभोक्ता संरक्षण अधिकार 1986

15.पंजाब अतिचार अधिकार 1961

16.भृष्टाचार निवारण अधिनियम 1988

17.बन्दी अधिकार 1900

18.सार्वजनिक जुआ अधिनियम 1867

- 19.कि"गोर न्याय अधिनियम 1986
- 20.दहेज प्रति"ध अधिनियम 1961
- 21राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980
- 22.स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
- 23.स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988
24. बन्दियों की फ़िनान्श अधिनियम 1930
- 25.लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980
- 26.विष्फोटक अधिनियम 1984
- 27.विष्फोटक पदार्थ अधिनियम 1909
- 28.कुटुम्ब न्यायालय अधि01984
- 29.अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958
- 30.अनैतिक व्यापार निवारण अधि1956
- 31महिलाओं का आंच्छ प्रति"ध अधिनियम 1986
- 32भारतीय वन अधिनियम 1927
- 33.वन संरक्षण अधिनियम 1980
- 34.विधि विरुद्ध किया कलाप निवारण अधि02004
- 35.बन्दी न्यायालय में उपस्थित अधि01955
- 36.विष अधिनियम 1919
- 37.मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
- 38.राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनयम 1994
- 39.रेल अधिनियम 1989
- 40.रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957
- 41.रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा)अधि01966
- 42.पुलिस बल (अधिकारों पर निर्वन्धन) 1966
- 43.पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922
- 44.राज्य स"स्त्र पुलिस बलों (कानूनों का विस्तार)अधिनियम 1952
- 45.केविल दूरद"नि नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995
- 46.व्याज अधिनियम 1978
- 47.उ0प्र0 गिरोह बन्द और ससमाज विरोधी किया कलाप अधिनियम 1986
- 48.उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970
- 49.उ0प्र0 गौ सेवा आयोग 1999
- 50.उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण नियमावली 1970
- 51.उ0प्र0 बृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976
- 52.उ0प्र0प्रादेशिक स"स्त्र आरक्षक वर्ग अधिनियम 1948
- 53उ0प्र0 डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1983
- 54.उ0प्र0 पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979
- 55.उ0प्र0 अग्नि"मन सेवा अधिनियम 1944
- 56.उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील)1991
- 57.उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनु"ासन और अपील नियमावली)1999
- 58.उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम 1955

59.उ0प्र0 गौवध निवारण नियमावली 1964

60.उ0प्र0 गौ”ाला अधिनियम 1964

61.उ0प्र0 गौ”ाला नियमावली 1964

62.उ0प्र0 गौ सेवा आयोग अधिनियम 1994

63.सूचना प्रौद्धोगिकी अधिनियम 2000

64.सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

65.वित्तीय हस्त पुस्तिका

66.समय—समय पर निर्गत शासनादे”।

67.उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश।

असके अतिरिक्त तत्समय प्रचलित अन्य विधियों भी पुलिस कार्य प्रणाली को सहायता एवं विनियमित करती है।

6.विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणी

6.1विभिन्न थानों व अन्य कार्यालयों में रखे जाने वाले अभिलेख

क्र0सं0	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई / ”शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अपराधों के सम्बंध में दी गई सूचनाएँ एवं विवेचक के सम्बंध में	सभी पुलिस थानों पर	अवधि जब तक उपलब्ध होगी
2	दैनिक सामान्य	सभी अभियुक्तों की गिरफतारी पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण की रवानगी वापसी डयुटी का विवरण	सभी पुलिस थानों व पुलिस लाइन में	एक साल थाने परद उसके बाद 5 साल तक पुलिस कार्यालय के रिकार्ड रूम में
3	सभी स्टेपिंग आर्डर	पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधिकारी/कर्मचारी दिये गये निर्देशों का विवरण	सभी शाखा व थानों पर	स्थाई रूप से रख जायेगा राजपत्रित अधिकारी आदे”। पर ही नष्ट होगी
4.	भगोडा (मफरूर) रजिस्टर	सभी फरार अपराधियों का विवरण	सभी थानों पर	5वर्ष में
5	रोकड वही	धनराशी कीआमद व खर्च का विवरण	सभी थाने /पुलिस लाइन में	एक वर्ष थाना इकाई उसके बाद 9वर्ष तक पुलिस आफिस रिकार्ड रूम में
6	आरोप पत्र	अभियोगों में प्रेषित पुलिस रिपोर्ट	सभी पुलिस थाने पर	एक साल
7	चिक खुराक	अभियुक्तों के भेजन व्यय किराया व्यय आदि की प्रतिपूर्ति है	सभी थाने पर	तीन साल
8	365द0प्र0सं0 के अधीन	उक्त नियमानुसार दोष	” ”	सभी केदियों की

	दोष सिद्ध अपराधी रजिस्टर	सिद्ध अपराधियों का विवरण		अवधि समाप्त हो चुकी हो
9	432 द०प्र०सं० के अधीन स'र्ट मुक्त किये गये कैदी रिकार्ड रजिस्टर	" "	" "	" "
10	गोपनीय सप्ताहिक रिपोर्ट	थाना क्षेत्र की सम्प्रदायिक राजनैतिक व अन्य गतिविधियों की गोपनीय सूचना	" "	एक साल
11	अपराध रजिस्टर	थाना क्षेत्र में हुए अपराधिक घटनाओं का विवरण	सभी थानों पर	पाँच साल
12	चौकी दारों का अपराध नोटबुक	चौकीदार के ग्राम घटित घटनाओं का विवरण	सूची चौकीदारों के पास	चौकीदार को जबतक नई नोट बुक प्रदान न की जाए
13	ग्राम अपराध रजिस्टर(रजिस्टर नं०-८)	उस गाँव मेंघटित होने वाले अपराध का विवरण	सभी थानों पर	स्थाई रूप में
14	डिफाल्टर रजिस्टर	कर्मचारी की त्रुटिव उसके लिए दी गयी हिदायत का उल्लेख	सभी थाने पुलिस लाइन में	एक साल पूर्ण होने के बाद
15	केस डायरी	विवेचना में कृत कार्यवाही का विवरण	सभी थानों /विवेचकों के पास	पाँच साल
16	अन्तिम रिपोर्ट	अभियोग में विवेचनोपरान्त प्रेषित रिपोर्ट	सभी थाने पर	एक साल
17	अंगुष्ठ छाप रजिस्टर	अपराधियों का नाम पता जिसका अंगुष्ठछाप लिया गया है।	सभी थाने पर	स्थानी रूप में
18	चिक गैरदस्तन्दाजी	अहस्तक्षेपीय अपराधों की सूचक	"	तीन साल
19	गिरोह रजिस्टर	पंजीकृत गेंगों का विवरण	सभी थाने पर व डीसीआरवी में	दो साल
20	मरम्मत रजिस्टर	मरम्मत के लिए प्राप्त धन व उसके व्यय का विवरण	"	तीन साल
22	जाँच पर्ची "ब'	थाना क्षेत्र में मिलने वाले संदिग्ध आचरण	"	"

		के व्यवितयों के लिये जारी पत्र		
23	सूची हिस्टी”पीट	दुराचारियों का विवरण	”	”
24	पचायतनामा जिल्द	स्वभाविक मृत्यु की जॉच का विवरण	सभी थाने पर	एक साल
25	निरीक्षण पुस्तिका	निरीक्षण का विवरण	सभी थानों पर व शाखाओं मे	पाँच साल
26	मलमसरुका रजिस्टर	चोरी / लूटी गयी एवं वरामद सम्पत्ति का विवरण	सभी थानों पर	एक साल
27	रिमाण्ड”पीट पु0प्रपत्र	अभियुक्तों को रिमाण्ड के लिए अनुरोध पत्र	सभी थानों पर	पाँच साल
28	मजिस्टेटों के लिए निरीक्षण पुस्तिका	मजिस्टेटों के द्वारा निरीक्षण के दौरान उल्लेख	सभी थाने पर	पूर्णता से 5साल तक
29	109धारा के अन्तर्गत कार्यवाही	संदिग्ध अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	”	दो वर्ष
30	110सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही	अभ्यस्त अपराधियों को पावन्द कराने हेतु	”	”
31	थानाध्यक्षकी गोपनीय पुस्तिका	क्षेत्र की गोपनीय अभिसूचनायें	”	स्थाई
32	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	सभी कार्यालयों में	थकसी राजपत्रित अधिकारी के नष्ट किये जाने के आदे”। तक
33	परिपत्र अनुदे”गों की फाइल	परिपत्रों सम्बंधी निर्देश	”	”
34	अपराधी जनजातियों का रजिस्टर	अपराधियों जन जातियों के सम्बंध में	समस्त थानों पर	उनके मृत्यु तक
38	सक्रिय अपराधी रजिस्टर	क्षेत्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्षेत्र के सक्रिय अपराधों की सूची	”	निगरानी उचित समझे जाने तक
39	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	”	5वर्षों तक
40	आर्डर बुक न्यायालय	कोर्ट प्रोसीजर की सूची	”	5वर्षों तक
41	आर्डर बुक”स्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	”	5वर्षों तक
42	भवन रजिस्टर	थाने की खसरा खतौनी व भवनों के	”	स्थायी

		सम्बंध में		
43	गुम”ुदगी रजिस्टर	गुम”ुदा व्यक्तियों के सम्बंध में	”	स्थाई
44	गिरफतारी रजिस्टर	गिरफतार व्यक्तियों के सम्बंध में सूचना	”	5वर्षों तक
45	ज्मानत रजिस्टर	दीजाने वाली ज्मानतों का विवरण	”	5वर्षों तक
46	काजलिस्ट रजिस्टर	न्यायालय द्वारा अभियोजन की तिथियों कार्यवाही का विवरण	”	5वर्षों तक
47	जननीकायत रजिस्टर	थाना कार्या/अन्य कार्यालयों में प्राप्त कायती प्रार्थना पत्र	समस्त थानों /कार्यालयों में	2वर्ष तक
48	किरायेदार सत्यापन रजिस्टर	क्षेत्र के किराये दारों के सत्यापन के सम्बंध में	समस्त थानों पर	स्थायी
49	नियुक्त रजिस्टर	थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के सम्बंध में	”	स्थायी
50	अवका”ा रजिस्टर	आकस्मिक अवका”ों का विवरण	समस्त कार्यालयों में	1वर्ष तक

6.2 क्षेत्राधिकारी स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

क्रसं	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई /”ाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधिजब तक उपलब्ध होगी
1	अपराध रजिस्टर	सर्किल में पंजीकृत अभियोगों व केस डायरियों का संक्षिप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	5वर्ष तक
2	जेड रजिस्टर	केसडायरियों को न्यायालय भेजने के दिनांक सहित संक्षप्त विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	स्थाई
3	आर्डरबुक प्रार्थना पत्र	पार्थना पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	5वर्ष तक
4	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदें”ा तक
5	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05वर्ष में
6	अवका”ा रजिस्टर	आकस्मिक अवका”ों का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	01वर्ष तक

7	विशेष अपराध पत्रावलियों	विशेष अपराधों का विवरण	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	स्थाई
8	जॉच पत्रावलियों	प्रिकायतों की जॉच के सम्बंध में	क्षेत्राधिकारी कार्यालय में	05 वर्ष तक

6.3 अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

क्र0स0	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जबतक उपलब्ध होगी
1	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05वर्ष तक
2	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेत तक
3	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05वर्ष तक
4	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाश का विवरण	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	01वर्ष तक
5	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के सम्बंध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थाई
6	जॉच पत्रावलियों	प्रिकायतों की जॉच के सम्बंध में	अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05वर्ष तक

6.4 पुलिस अधीक्षक स्तर पर रखे जाने वाले अभिलेख

क्र0स0	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचना का विवरण	इकाई शाखा जहाँ उपलब्ध होगी	अवधि जबतक उपलब्ध होगी
1	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	बचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थाई
2	हिस्टीशिट इन्डैक्स	जनपद के दुराचारियों का विवरण	बचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थाई
3	पुरस्कार रजिस्टर	जनपद के पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सूची	बचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05वर्ष
4	आर्डरबुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	प्रिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय में	05वर्ष
5	परिपत्र सूचनाओं की	समस्त परिपत्र	प्रधान लिपिक	अधिकारी द्वारा

	फाइल		कार्यालय	नष्ट किये जाने के आदें ^T तक
6	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	बचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	05वर्ष तक
7	अवका” ^T रजिस्टर	आकस्मिक अवका” ^T ों का विवरण	बाचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय	01 वर्ष तक
8	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के सम्बंध में	बचक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में	स्थाई
9	सर्विस बुक / चरित्र पंजिका	समस्त रेंकों के कर्मचारियों के सम्बंध में	प्रधान लिपिक	स्थाई
10	के” ^T बुक / पे-विल रजिस्टर	समस्त भुगतानों के लेनदेन के सम्बंध में	आंकिक ”ाखा	स्थाई
11	आकस्मिकता निधि रजिस्टर	आकस्मिका निधि पर भारित व्ययों के सम्बंध में	आंकिक ”ाखा	स्थाई
12	स्टाफ रजिस्टर	सामान्य भण्डारकी मदों का क्रय व वितरण	पुलिस लाइन	स्थाई
13	हिन्दी आदें ^T पुस्तिका	समस्त आदें ^T जिनका प्रभाव वित्तीय भार पर पड़ता है	पुलिस लाइन	40 वर्षों तक

7. जनता की पराम”^T दात्री समितियाँ

जनपदीय पुलिस में जनता के सदस्यों से पराम”^T के लिए या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर नीति निर्धारण में विचार हेतु निम्नलिखित व्यवस्था विद्यमान है—

क्रसं०	समिति का नाम	समिति का गठन	भूमिका एवं दायित्व	गोष्ठी की आवृत्ति
1	ग्राम सुरक्षा समिति	प्रत्येक गाँव में 15 से 20 व्यक्तियों की समिति थानाध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है	गाँव में गठित होने वाले अपराध एवं अपराधियों की सूचना पुलिस को देना व अपराधियों से मुकावला करना	समय—समय पर
2	पुलिस पेन्सनर्स बोर्ड	जनपद के पुलिस पे”नर्स के द्वारा गठित होती है	पुलिस पेन्सनर्स के कल्याण हेतु पैरवी करना	त्रैमासिक
3	उधोग बन्धु	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के उद्यमियों की बैठक	उद्योगों के विका” ^T में आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या के	त्रैमासिक

			समाधान हेतु	
4	जिला सडक सुरक्षा समिति	श्जलाधिकारी की अध्यक्षता में सडक सुरक्षा से सम्बंधित समस्त विभागों के अधिकारियों की समिति	दुर्घटनाओं के निवारण हेतु	त्रैमासिक
5	जिला स्तरीय पत्रकार समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद के पत्रकारों की समिति	पत्रकारों की पुलिस से सम्बंधित समस्याओं के निराकरण हेतु	त्रैमासिक
6	शान्ति समिति	क्षेत्र के सम्भान्त नागरिकों की समिति	साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने हेतु	आव"यकतानुसार
7	मेला समिति	मेले से सम्बंधित सम्भान्त व्यक्तियों की समिति	प्रमुख मेलों को सकु"ल सम्पन्न कराने हेतु	मेले के आयोजन से पूर्व
8	सांसद व विधायकगण की गोष्ठी	समस्त सांसद व विधायकगण की गोष्ठी	प्रौकायतों के निस्तारण व सुझाव /पराम"र के लिये	मासिक

8बोर्डों परिषदों समितियों और अन्य निकाय

पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

विन्दु संख्या-9 अधिकारियों तथा कर्मचारियों की टेलीफोन डायरेक्टरी

जनपद अलीगढ़ के पुलिस अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर

	Post	Police Station	PNT Phone	Police Station	CUG No	Circle
1	प्रभारी निरी.	कोतवाली	2521400	Kotwali	9454402789	COCity1
2	थानाध्यक्ष	देहलीगेट	2520370	Dehligate	9454402780	COCity1
3	प्रभारी निरी०	सासनीगेट	2410373	Sasanigate	9454402795	COCity1
4	थानाध्यक्ष	महिला थाना	2405665	Mahila Thana	9454404757	COCity2
5	पु.उपा०	नगर-2 / लाइन	2401602	COCity2	9454401240	COCity2
6	थानाध्यक्ष	बन्नादेवी	2522079	Bannadevi	9454402774	COCity2
7	थानाध्यक्ष	गाँधीपार्क	2763073	Gandhipark	9454402783	COCity2
8	पु.उपा०	नगर-3,आँकिक	2401268	COCity3	9454401241	COCity3
9	प्रभारी.निरी.	सिविल लाइन	2703471	Civil Line	9454402778	COCity3
10	प्र०निरी०	क्वार्सी	2742166	Quarsi	9454402790	COCity3
11	थानाध्यक्ष	जवाँ	2482233	Jawan	9454402787	COCity3
12	ए.एस.पी.	क्षेत्रगभाना / लाइन,भवन		CO Gabhana	9454402803	CO Gabhana

13	थानाध्यक्ष	गभाना	289243	Gabhana	9454402782	CO Gabhana
14	थानाध्यक्ष	लोधा	2213283	Lodha	9454402791	CO Gabhana
15	थानाध्यक्ष	चण्डौस	226641	Chandaus	9454402776	CO Gabhana
16	अ.पु.आ.	ग्रामीण	2401454	2400570	9454401012	CO Atrauli
17	पु.उपा०	क्षेत्रा०अतरौली	233226	CO Atrauli	9454401244	CO Atrauli
18	थाना प्रभारी	अतरौली	233226	Atrauli	9454402773	CO Atrauli
19	थानाध्यक्ष	हरदुआगंज	2780870	Harduaganj	9454402785	CO Atrauli
20	थानाध्यक्ष	दादों	222867	Dadon	9454402779	CO Atrauli
21	थानाध्यक्ष	पालीमुकीमपुर	266251	Pali	9454402793	CO Atrauli
22	पु.उपा०	क्षेत्रा०बरला		CO Barla	9454401245	CO Barla
23	प्र०निरी०	बरला	283222	Barla	9454402775	CO Barla
24	थानाध्यक्ष	गंगीरी	285241	Gangiri	9454402781	CO Barla
25	प्र०निरीक्षक	छर्रा	222748	Chharra	9454402777	CO Barla
26	थानाध्यक्ष	अकराबाद	2203225	Akrabad	9454402772	CO Barla
27	थानाध्यक्ष	विजयगढ़	2262224	Vijaygarh	9454402797	CO Barla
28	पु०उपा०	इगलास	255202	CO Iglas	9454401243	CO Iglas
29	प्र०नि०	इगलास	255333	Iglas	9454402786	CO Iglas
30	थानाध्यक्ष	मड्राक	2223274	Madrak	9454402792	CO Iglas
31	थानाध्यक्ष	गोण्डा	287220	Gonda	9454402784	CO Iglas
32	पु०उपा०	खैर	222583	CO Khair	9454401242	CO Khair
33	थानाध्यक्ष	खैर	222225	Khair	9454402788	CO Khair
34	थानाध्यक्ष	टप्पल	262330	Tappal	9454402796	CO Khair
35	थानाध्यक्ष	पिसावा	284345	Pisawa	9454402794	CO Khair

10. अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन / पारितोषिक

10.1 स"स्त्र व नागरिक पुलिस के अधिकारियों / कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्र०सं०	पद	वेतन वेण्ड (ग्रेड पे)	पोष्टिक आहार भत्ता	बर्द्दी धुलाई भत्ता
1	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	15600–39100(ग्रेड पे 8700)	00	375
2	अपर पुलिस अधीक्षक	15600–39100(ग्रेड पे 8700)	600	300
3	पुलिस उपाधीक्षक	9300–34800(ग्रेडपे 5400)	600	300
4	निरीक्षक	9300–34800(ग्रेडपे 4600)	600	150
5	उपनिरीक्षक	9300–34800(ग्रेडपे 4200)	600	150
6	मुख्य आरक्षी	5200–20200 (ग्रेड पे 2400)	750	150

<u>7</u>	आरक्षी	5200—20200 (ग्रेड पे 2000)	750	150
<u>8</u>	अनुचर	5200—20200 (ग्रेड पे 1800)	650	00

10.2 रेडियो शाखा के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्र०सं0	पद	वेतन वेण्ड (ग्रेड पे)	पोष्टिक आहार भत्ता	बर्दी धुलाई भत्ता
1	निरीक्षक रेडियो	9300—34800(ग्रेड पे 4600)	600	150
2	रेडियो /अनुरक्षण अधिकारी /रेकेन्ड्रअधिकारी	9300—34800(ग्रेड पे 4600)	600	150
3	हैड आपरेटर	5200—20200 (ग्रेड पे 2400)	750	150
4	सहायक परिचायक	5200—20200 (ग्रेड पे 2000)	650	150
5	अनुचर/सन्दे”ा वाहक	5200—20200 (ग्रेड पे 1800)	650	00

10.3 फायर सर्विस के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन

क्र०सं0	पद	वेतन वेण्ड (ग्रेड पे)	पोष्टिक आहार भत्ता	बर्दी धुलाई भत्ता
1	अग्नि”ामन अधिकारी	9300—34800(ग्रेड पे 4600)	600	150
2	थृतीय अग्निशमन अधिकारी	9300—34800(ग्रेड पे 4200)	600	150
3	लीडिंग फायरमैन /हेकान्स डाओफायर सर्विस	5200—20200 (ग्रेड पे 2400)	750	150
4	फायरमैन	5200—20200 (ग्रेड पे 2000)	750	150
5	अनुचर	5200—20200 (ग्रेड पे 1800)	650	00

10.4 लिपिक वर्गीय अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन /पारितोषिक

क्र०सं0	पद	वेतन वेण्ड (ग्रेड पे)	पोष्टिक आहार भत्ता	बर्दी धुलाई भत्ता
1	एस0आई0(एम)	9300—34800(ग्रेड पे 4200)	600	150
2	ए0एस0आई0(एम)	5200—20200 (ग्रेड पे	600	150

		2800)		
3	कान्स0(एम)	5200—20200 (ग्रेड पे 2000)	750	150
4	उर्दू अनुवादक (कनिष्ठ लिपिक)	5200—20200 (ग्रेड पे 2800)	00	00

10.5 परिवहन शाखा में अधिकारियों / कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन / पारितोषिक

क्र0सं0	पद	वेतन वेण्ड (ग्रेड पे)	पोष्टिक आहार भत्ता	बर्दी धुलाई भत्ता
1	उ0नि0 परिवहन शाखा	9300—34800(ग्रेड पे 4200)	600	150
2	मुख्य आरक्षी	5200—20200 (ग्रेड पे 2400)	750	150
3	आरक्षी चालक	5200—20200 (ग्रेड पे 2000)	750	150
4	चतुर्थ श्रेणी	5200—20200 (ग्रेड पे 1800)	650	00

10.6 स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों/ कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन / पारितोषिक

पद	वेतन वेण्ड (ग्रेड पे)	पौ0 आहार भत्ता	वर्दी धुलाई भत्ता
निरीक्षक अभिसूचना	9300—34800 ग्रेड पे 4600	600	150
उ0नि0 अभिसूचना	9300—34800 ग्रेड पे 4200	600	150
मुख्य आरक्षी अभिसूचना	5200—20200 (ग्रेड पे 2400)	750	150
आरक्षी अभिसूचना	5200—20200 (ग्रेड पे 2000)	750	150

11बजट –2055,पुलिस आयो0109,जिला पुलिस03,जिला पुलिस (मुख्य) वर्ष 2017–2018

12-सब्सिडी कार्यक्रम के निर्सादन का ढंग

वर्तमान में विभाग में कोई उत्पादन कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

विन्दु संख्या 13 संगठन द्वारा प्रदत्त छूट अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्त कर्तव्यों का विवरण –”न्य

विन्दु संख्या-14 इलैक्ट्रानिक प्रारूप में सूचनाओं की उपलब्धता –”न्य

विन्दु संख्या-15 अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों प्रदत्त सुविधायें

क्र०सं०	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
1	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त किया जाना	अपर पुलिस अधीक्षक सम्बंधित क्षेत्राधिकारी (यदि क्षेत्राधिकारी मुख्यालय पर नहीं वैठते हैं तो सम्बंधित थाना प्रभारी) कार्यालय	प्रतः 10:00 बजे से शाम 17:00 बजे तक राजकीय अवका"। को छोड़कर
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
3	सूचना प्रदान प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	विलम्बतम 30 दिन तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वतन्त्रता के सम्बंध में 48 घंटे
4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराणी का विवरण 10/- रु० प्रथम घंटा, प्रथम घंटा के ८" चात 5/- प्रति 15 मिनट	पुलिस कार्यालय के आंकिक शाखा में नकद लोक प्राधिकारी को डाफट / वैकर्स चैक	उपरोक्त
5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा करायी जाने वाली राणी का विवरण 10/- रु० प्रतिआवेदनपत्र और गरीबी की रेखा के व्यक्तियों को नि"जुल्क व अतिरिक्त शुल्क फोटो प्रति 2रु० व वडे साइज की 5 रु० प्रति	उपरोक्त	उपरोक्त

समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 260 रु० प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना (25000/- अनाधिक) भी देय होगा ।

विन्दु संख्या-16 लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम जनपद अलीगढ़ पुलिस में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्न प्रकार से की गयी है:-

क्र०सं०	नोडल जन सूचना अधिकारी का नाम व पद	लिंक जन सूचना अधिकारी का नाम व पद	प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पद
1	श्री अभिषेक अपर पुलिस अधीक्षक नगर अलीगढ़	श्री मणिलाल पाटीदार पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण	श्री आकाश कुलहरि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार उपरोक्त के अतिरिक्त सूचना अधिकार अधिनियम 05 के अन्तर्गत उत्तर दायित्व निर्धारित करते हुए निम्नानुसार निम्नलिखित अधिकारियों को जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है। पूर्व प्रेषित गस्ती आदेश

के अनुसार रजिस्ट्रान तैयार कर सूचना शुल्क रसीद एवं सूचना संकलित करने की बुकलेट मेरे रिकार्ड रूम से मंगाना सुनिश्चित करें।

कार्यालय का नाम	जन सूचना अधिकारी का नाम व पद	मोनॉ	सहायक जन सूचना अधिकारी का नाम व पद	मोनॉ
क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम	श्री अभिषेक अपर पुलिस अधीक्षक नगर अलीगढ़	9454401011	क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम	9454401239
क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय	तदैव	तदैव	क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय	9454401240
क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय	तदैव	तदैव	क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय	9454401241
स0पु030 / क्षेत्राधिकारी गभाना	तदैव	तदैव	स0पु030 / क्षेत्राधिकारी गभाना	9454402803
क्षेत्राधिकारी अतरौली	तदैव	तदैव	क्षेत्राधिकारी अतरौली	9454401244
क्षेत्राधिकारी बरला	तदैव	तदैव	क्षेत्राधिकारी बरला	9454401245
क्षेत्राधिकारी इगलास	तदैव	तदैव	क्षेत्राधिकारी इगलास	9454401243
क्षेत्राधिकारी खैर	तदैव	तदैव	क्षेत्राधिकारी खैर	9454401242

टिप्पणी सीयूजी मोवाइल नम्बर राजपत्रित अधिकारियों के नाम आवंटित है जो कि अधिकारियों के स्थानान्तरण के बाद भी उपरोक्त नम्बर यथावत रहेंगे

विन्दु संख्या 17 अन्य कोई विहित सूचना शून्य

श्री अभिषेक
जन सूचना अधिकारी
अपर पुलिस अधीक्षक नगर अलीगढ़